श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

18 पौष, 1940 शक भोपाल, मंगलवार 8 जनवरी, 2019

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. पन्द्रहवीं विधानसभा के इस प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रदेश में हाल ही में विधानसभा निर्वाचन 2018 का लोकतांत्रिक महापर्व शांति से सम्पन्न हुआ है। इसके लिये सभी प्रदेशवासी, मतदाता भाई-बहनों, राजनीतिक दल, राजनैतिक कार्यकर्ता, शासन-प्रशासन और निर्वाचन कार्य में संलग्न मशीनरी मीडिया को मेरी हार्दिक बधाई। प्रदेश में निरंतर बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत विशेषकर महिलाओं द्वारा, इस बात का द्योतक है कि प्रदेश में प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

2. मध्यप्रदेश में इस बार लोगों ने नयी सरकार पर भरोसा जताया है। मुझे विश्वास है कि नयी सरकार जन-अपेक्षाओं और स्वयं को मिले जनादेश पर खरी उतरेगी।

3. मेरी सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। किसानों की ऋण माफी, अध्यात्म विभाग का गठन, कन्या विवाह-निकाह योजना की राशि में वृद्धि, उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रावधान, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने और ऐसे ही अनेक फैसले इस बात का प्रमाण है कि सरकार, जो कहा सो किया, को चरितार्थ कर रही है।

4. मेरी सरकार को मिला जनादेश, इस बात का द्योतक है कि प्रदेशवासी शासन, प्रशासन के तरीकों में मूलभूत बदलाव और प्रदेश की तरक्की तथा लोगों की खुशहाली के कामों को जमीन पर देखना चाहते हैं।

5. मेरी सरकार का ध्येय गवर्नेंस एट डोर स्टेप है और रहेगा। अब राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासन एक जज़्बे से काम करेगा और वह होगा, जन-समस्याओं का त्वरित निराकरण और प्रदेश का विकास तथा लोगों की तरक्की और खुशहाली। सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आमजन को सुगमता से सुलभ करवाना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए प्रशासन को जनोन्मुखी और संवेदनशील बनाने के साथ ही उसे निचले स्तर तक सुदृढ़ और परिणाममूलक बनाया जायेगा। प्रशासन को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाया जायेगा, जिससे त्वरित निर्णय हो सकें।

6. मेरी सरकार ने जब कार्यभार ग्रहण किया है, तब राज्य सरकार गंभीर वित्तीय परिस्थिति से जूझ रही है। राज्य शासन के राजस्व आधिक्य में विगत 6-7 वर्षों से निरन्तर कमी हुई है एवं 2018-19 के बजट अनुमान में तो यह लगभग नगण्य हो गया है। उसके पश्चात् अनुपूरक बजट में नई योजनाएँ शुरू की गईं, इनकी गणना करें

तो वास्तव में बजट राजस्व घाटे का हो गया है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल ऋण रुपये 34 हजार 672 करोड़ था, जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार बढ़कर रुपये 1 लाख 87 हजार 636 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में बकाया ऋण पर देय ब्याज रुपये 3,207 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में रुपये 12 हजार 867 करोड़ हो गया है।

7. मेरी सरकार ने किसानों, नौजवानों एवं आम नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख वचन-पत्र में किया है। इन्हें पूरा करने के लिए मेरी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध और संकल्पित है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में संसाधनों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए एक और जहाँ प्रशासनिक कसावट एवं कल्पनाशीलता से राजस्व में वृद्धि के उपाय किये जाएँगे वहीं दूसरी ओर पिछली सरकार की ऐसी योजनाएँ, जो किसान एवं आम नागरिकों के हित में अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, की

समीक्षा कर शासकीय धन का अपव्यय रोका जाएगा।

8. सड़क, बिजली और पानी मेरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, फोर लेन, टू लेन सड़कों के अलावा ग्रामीण सड़कों के निर्माण, संधारण और उन्नयन के कामों को विस्तार दिया जायेगा।

9. किसान भाई प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ खेती-किसानी के लिये आवश्यक सभी सुविधाएँ सुगमता से सुलभ कराना सरकार का लक्ष्य है। सरकार वचन-पत्र के किसान सशक्तीकरण और खेती किसानी से संबंधित सभी वचनों को पूर्ण करेगी।

10. मेरी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रतानुसार पात्र पाये गये किसानों के दो लाख की सीमा तक का बकाया फसल ऋण माफ कर दिया है।

11. मेरी सरकार प्रदेश के पशुधन के संरक्षण-संवर्धन के लिये कृत संकल्पित है। मेरी सरकार ग्राम पंचायतों में गौ-शालाएं बनवाकर निराश्रित गो-धन की समस्या को सुव्यवस्थित रूप से हल करेगी। ग्रामीण पुराचारों का भी इस तरह से समन्वय किया जाएगा कि गौ-शालाओं के साथ गोचर विकास भी सुनिश्चित हो और गौ-शौलाएं गौ-उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन में भी सहायक सिद्ध हो सकें।

12. मेरी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करेगी। इसके लिये निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और नये संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जायेगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का भी पर्याप्त दोहन किया जायेगा। इसमें निजी निवेश को और बढ़ावा देने की कार्यवाही की जायेगी। ऊर्जा का भविष्य इसके स्टोरेज में है और सरकार इस दिशा में कार्य प्रारंभ करेगी।

13. विद्युत् नियामक आयोग को पुनर्गठित किया जायेगा। कृषि और घरेलू प्रयोजन के बिजली संबंधी झूठे प्रकरण वापिस लिये जायेंगे। विद्युत् अधिनियम की धारा 135 और 138 को जमानती बनाया जायेगा।

14. फायदे की कृषि और भरपूर उत्पादन के लिये जरूरी है कि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। मेरी सरकार का संकल्प है कि अगले पाँच वर्ष में सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ायेंगे। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को प्राथमिकता दी जायेगी। सिंचाई जल की बूंद-बूंद के उपयोग को माइक्रो सिंचाई पद्धति से सुनिश्चित किया जायेगा। नर्मदा परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जायेगा।

15. प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यक्ता है। शिक्षा के लिये अधोसंरचना, गुणवत्ता एवं रिटेंशन पर प्राथमिकता से कार्य किया जायेगा। शिक्षा संस्थाओं में पेयजल की उपलब्धता और विद्युतीकरण की योजना शुरू की जायेगी।

16. मेरी सरकार स्वस्थ प्रदेश-मध्यप्रदेश की अवधारणा पर काम करेगी। जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुधारात्मक निर्णय लेगी। मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को सघन किया जायेगा। सभी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों में भी समुचित अधोसंरचना और उपचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी। अस्पतालों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाते हुए गुणात्मक सुधार किया जायेगा।

17. बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार और कुपोषण को कम करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिये विभिन्न कदम उठाने के साथ सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

18. मेरी सरकार महिला सशक्तिकरण को सच्चे अर्थों में सार्थक करेगी। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर बेहतर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

19. मेरी सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कृत-संकल्पित है. आदिवासी कला-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को व्यापक स्वरूप दिया जायेगा। आदिम जाति मंत्रणा परिषद को प्रभावी बनाया जायेगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के बहुमुखी प्रयास किये जायेंगे। सरकार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक जिन कब्जाधारियों को पट्टा नहीं मिला है, उनको पट्टा दिलवायेगी और भूमि को कृषि योग्य बनायेगी।

20. अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर उन्हें स्वावलंबी, सुशिक्षित बनाने के प्रयास किये जायेंगे। इसके लिये छात्रवृत्ति, छात्रावास और अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक किया जायेगा।

21. मेरी सरकार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यों को गति देने का काम करेगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि इन वर्गों के विकास और

कल्याण के ऐसे काम किये जायें कि वे मुख्य-धारा में शामिल होकर प्रदेश को ऊर्जावान बनाये।

22. मेरी सरकार सामान्य वर्ग के कल्याण के प्रति सजग है। इस वर्ग के कल्याण कार्यक्रमों को सुविचारित स्वरूप देने के उद्देश्य से सामान्य वर्ग आयोग का गठन होगा।

23. मेरी सरकार गरीबों, निराश्रितों, विकलांगों और कल्याणी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को व्यापक रूप देगी। गरीबों और श्रमिकों के लिये ''नया सवेरा'' कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

24. मेरी सरकार प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास के साथ प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोगार दिलाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में बदलाव किया जा चुका है। आवश्यकतानुसार युवाओं को रोजगारोन्मुखी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के प्रयास किये जायेंगे, जिससे प्रदेश औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो।

25. कुटीर और कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों को सरकारी खरीद में प्रोत्साहन देने की कार्यवाही की जायेगी।

26. मेरी सरकार गाँवों के विकास और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने केलिये संकल्पित होकर काम करेगी। पेयजल, बिजली, सड़क, स्वच्छता और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं का गाँव-गाँव तक विस्तार किया जायेगा। गाँवों के सुनियोजित विकास की ग्रामवार कार्ययोजनाएँ बनाकर उन्हें मूर्तरूप दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्य की प्राप्ति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सघन रूप से विस्तार, मनरेगा के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में संपर्कविहीन बसाहटों को जोड़ने का काम किया जायेगा।

27. नगरों का सुनियोजित विकास और वहां आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता आज की जरूरत है। मेरी सरकार इस दिशा में सुविचारित और कल्पनाशील

कार्यक्रमों को अमली जामा पहनायेगी। शहरी विकास की सरकार की प्राथमिकताएँ, बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित करना, पानी, आवास, परिवहन, संचार साधन, स्वच्छता का क्षेत्र, रहेगी।

28. मेरी सरकार ने नए अध्यात्म विभाग के गठन की स्वीकृति दी है। भारत की आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश-प्रदेश की बहुलतावादी संस्कृति के विकास को नये आयाम देने का काम यह विभाग करेगा।

29. माँ नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन-रेखा है. माँ नर्मदा के संरक्षण और प्रवाह को अविरल बनाये रखने के लिये माँ नर्मदा न्यास अधिनियम लाया जायेगा। माँ नर्मदा में अवैध उत्खनन और प्रदूषण की रोकथाम सख्ती से की जायेगी। आगामी पाँच वर्षों में नर्मदा परिक्रमां पथ, अधोसंरचना का निर्माण तथा आवश्यकतानुसार विश्राम-स्थल बनाये जायेंगे।

30. मेरी सरकार प्रदेश की अपार खनिज सम्पदा के संतुलित दोहन की पक्षधर है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और विक्रय की सख्ती से रोकथाम की जायेगी। नयी खनिज नीति बनेगी। प्रदेश की नदियों से रेत खनन का काम ठेकेदारों के बजाय स्थानीय बेरोजगारों की समितियों को दिया जायेगा।

31. मेरी सरकार प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा, खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन और खेल अद्योसंरचनाओं के निर्माण को गति देने की कार्यवाही करेगी। साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

32. मेरी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में हर कीमत पर साम्प्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखना है। इसके लिए पुलिस बल में वृद्धि, पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने, आधुनिक संसाधनों से लैस करने, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने,

पुलिस आवास गृहों की उपलब्धता बढ़ाने, आधुनिक संसाधनों से लैस करने सहित सभी संभव उपाय किये जायेंगे। सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं अमन-चैन से खिलवाड़ कतई बरदाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में बेकाबू अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब तथा जुआ, सट्टा जैसी सभी अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के गंभीर प्रयास किये जायेंगे।

33. मेरी सरकार का रोडमैप और ब्लू प्रिंट वचन-पत्र ही है और उसे आगामी पाँच वर्षों में पूरी शिद्दत और प्राथमिकता से अमल में लाने के लिये सरकार संकल्पित है.

34. मेरी सरकार घोषणाओं में नहीं, ''प्रचार कम-काम ज्यादा'' में विश्वास करती है। सरकार का मानना है कि ''कहने से ज्यादा जरूरी काम करना है।'' मुझे विश्वास है कि यह नयी संस्कृति ''वक्त है बदलाव का'' को चरितार्थ कर प्रदेश को प्रगति के नये आयामों की ओर ले जायेगी।

35. मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप पक्ष-विपक्ष दोनों प्रदेश हित में अपनी जिम्मेदारी का सक्षमता से निर्वहन करेंगे। आप सभी अपने कामकाज से प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की इमारत की मजबूत नींव जनता के सामने रख सकें इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ।

जय-हिन्द-धन्यवाद।